न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
पीठीसीन अधिकारी– श्री सुवालाल, आई.ए.एस
अपील सं0 4/2014 एल.आर एक्ट
अनवान मोहनलाल बनाम केशरदेवी आदि

06–06–2017

पत्रावली प्रस्तुत हुई । अभिभाषक अपीलान्ट श्री ओमप्रकाश चाण्डक एवम् राजकीय अभिभाषक श्री सुभाष सहू उपस्थित । प्रकरण अनुसार प्रार्थीया अपीलान्ट श्रीमती केशर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय वसीयत प्रस्तुत कर वसीयतकर्ता पन्नाराम द्वारा दिनांक 24–1–94 को की गयी वसीयत एवं प्रोबेट सर्टिफिकेट न्यायालय जिला जज, बीकानेर दिनांक 11–5–09 मु0नं0 150/98 अनवानी केशर बनाम सर्व साधारण में में दिये गये निर्णयानुसार पन्नाराम की खातेदारी भूमि का अंकन करने हेतु निवेदन किये जानेपर उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–5–10 पारित कर ग्राम सुजानदेसर के खसरा नं0 680 व 683 की कुल 22.75 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीनी के नाम से नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने तथा वर्तमान में जिनके नाम से भूमि है, उन्हें नियमानुसार निरस्त करने के आदेश दिये गये एवम् आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीकानेर को पत्रांक 460 दिनांक 25–5–2010 जारी किया गया । उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 24–5–10 से व्यथित होकर अपीलार्थी मोहनलाल पुत्र पन्नालाल द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12–12–13 को प्रस्तुत की गयी है । प्रस्तुत अपील न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई हेतु स्वीकार की जाती है ।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट को उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–5–10 पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिध्दान्तों के विरुध्द है । अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी के दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जाने से न्याय हित में अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है ।

अपीलान्ट विवादित भूमि के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी होने से प्रभावित पक्षकार है, जिसे सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है ।

प्रकरण में जरिये अभिभाषक प्रार्थी अपीलान्ट मोहनलाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तत कर निवेदन किया कि उपखण्ड न्यायालय, पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–5–10 न्यायालय जिला जज, बीकानेर द्वारा जारी प्रोबेट दिनांक 11–5–09 दिवानी प्रकरण सं0 150/98 अनवान केशर बनाम सर्वसाधारण के आधार पर प्रदत्त किया गया है । यह कि उक्त प्रोबेट दिनांक 11–5–09 को न्यायालय जिला न्यायाधीश बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 7–3–17 विविध दिवानी प्रकरण सं0 135/2011 अनवानी मोडी बनाम केशर आदि द्वारा अपास्त फरमा दिया जाने से प्रोबेट पर आधारित इन्द्राज निष्प्रभावी हो गये हैं । अतः प्रोबेट दिनांक 11–5–09 पर आधारित राजस्व इन्द्राज निरस्त किये जाकर आराजीजैर अपील मृतक खातेदार पन्नाराम के विरासतन नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् मा. जिला न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–3–17 का अवलोकन किया । उक्त आदेश के अनुसार प्रार्थीया श्रीमती मोडी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय स्वीकार किया जाकर सिविल विविध प्रकरण सं. 150/98 में दिनांक 13–5–04 को पारित एक पक्षीय आदेश एवं उसके अनुसरण में जारी किया गया प्रोबेट प्रमाण पत्र दिनांक 11–5–09 अपास्त किया जा चुका है । इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन अनुसार विवादित प्रोबेट प्रमाण पत्र दिनांक 11–5–09 सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है । इसलिए अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आंदेश दिनांक 24–5–10 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि माननीय जिला न्यायाधीश बीकानेर के आदेश व निर्णय दिनांक 7–3–17 का अवलोकन व अध्ययन कर सम्बन्धित सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद सुनवाई नियमानुसार आदेश पारित किया जावे । उक्त आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित हो । अपील नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 06–06–17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय प्रति पालनार्थ SDO बीकानेर को प्रेषित की गयी।
633
7.7.17